

स्थान अभिवृत्ति अधिनियम 1952

उप-खण्ड 2
उप-खण्ड 3
जिला

21/12
2021

पत्रावली प्रेषा हुई। सुकुलच उपन। पत्रावली
 का कवचोक्तन किया गया। पत्रावली के उक्त
 से ज्ञात है कि कावेडक ने कंपनी
 शक्ति बेटा I. के अक्षर नंबर 38/4, 38/6
 कुल अक्षर 2.00 एकर में कावागमन के
 लिए रेकॉर्ड रास्ता उपबन्ध नहीं होने से
 राजकीय सेवायक शक्ति अक्षर नंबर
 38 अक्षर 45.83 एकर में नया रेकॉर्ड
 मार्ग उपबन्ध करके जाने का निर्देश
 किया। जबकि तहसीलदार वाली से
 प्राप्त तहसीलक रिपोर्ट के अनुसार
 रास्ते के लिए बाड़ी जा शक्ति में मुमकिन
 होने से धारा 25(A) के बिन्दु i व ii
 की शर्तों के अनुसार कावेडक का प्राप्त
 काबिल निरवली है। इस प्रकार कावेडक
 द्वारा राम की धारा 25(A) के बिन्दु i व
 ii के उपबन्धों की पालना नहीं की जाने से
 प्राप्त प्राचीन चलने योग्य नहीं है। सिद्धान्त
 प्राप्त प्राचीन खारिज किया जा रहा है।
 पत्रावली अक्षर नंबर 38/4, 38/6
 कम है।

मोमान
और मैं /
मुसिफ
का

(Handwritten signature)